<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10.10.2024.</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (जेकेजीबी) धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तंगबाग, खय्याम, श्रीनगर निवासी इश्तियाक अहमद पर्रे; तारिक अली पर्रे, श्रीमती हसीना बानो और मकसूद अली पर्रे की श्रीनगर और उसके आसपास के स्थानों पर स्थित 3.40 करोड़ रुपये (लगभग) की छह अचल संपत्तियों और जाकिर नगर, नई दिल्ली स्थित एक फ्लैट को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, श्रीनगर द्वारा दर्ज 4 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें इश्तियाक अहमद पर्रे, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, जेकेजीबी और 10 अन्य को आरपीसी की विभिन्न धाराओं (आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के समरूप) और जेके पीसी अधिनियम (पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 के समरूप) के तहत गैर-मौजूद उधारकर्ताओं को धोखाधड़ी से केसीसी/जेएलजी/वाहन ऋण आदि मंजूर करके 6.30 करोड़ रुपये के धन के गबन के लिए आरोप पत्र जारी किए गए थे।

ईडी की जांच में पता चला है कि वर्ष 2014-19 के दौरान जेकेजीबी के मीरगुंड, पट्टन और खानपेट शाखाओं में तैनात रहने के दौरान, इसके तत्कालीन शाखा प्रबंधक इश्तियाक अहमद पर्रे ने धोखाधड़ी से 107 केसीसी, 50 जेएलजी, 17 वाहन, 4 सीसी और 2 ईजी फाइनेंस लोन, कुल 180 फर्जी ऋण खातों को मंजूरी दी, जिसकी कीमत 6.30 करोड़ रुपये थी, जिसे गैर-मौजूद उधारकर्ताओं के बैंक खातों में जमा किया गया, जो बाद में एनपीए में बदल गया। इस प्रकार स्वीकृत ऋण को बाद में कई अन्य खाताधारकों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो उनके परिचित व्यक्ति/चालक/दिहाड़ी मजदूर आदि थे। इसके बाद, इन राशियों को इश्तियाक अहमद पर्रे और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उपयोग अंततः उनके नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया।

****